न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–86/2021

महम्मद हारून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
30.01.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.08.2022 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र की मद न0–03 एवं 04 पर अपनी हकियत की घोषणा एवं निषेधाज्ञा की अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष काफी आक्रामक है तथा वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति को परिर्वर्तित कर देने पर आमादा है प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा मद न0–03 एवं 04 नालिश के एराजी पर बनावट खड़ा करने के लिए निर्माण सामग्री गिरवाई गई है तथा कभी भी प्रतिवादी प्रथम पक्ष निर्माण प्रारंभ कर सकते है। मुकदमा के दौरान वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति पूर्ववर्त बनाये रखना अति आवश्यक है। अतः वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति को अभिलेख पर लाये जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर मुकदमा वाली भूमि का स्थायी निरीक्षण करा लेना अति आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि न्यायालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वादीगण अधिवक्त आयुक्त का उचित फीस न्यायालय के आदेशानुसार वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के खर्चे पर एक	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–86/2021</u>

महम्मद हारून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2024	सुयोग्य अधिवक्ता आयुक्त की बहाली करते हुये वादग्रस्त भूमि मद सं0–03 एवं 04 अर्जी नालिस के संदर्भ में फोटोग्राफस के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 18.10.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन तथ्य एवं कानून दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 का दिनांक 24.11.2020 से शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 का अपना आवासीय परिसर है, जो चारों तरफ से पक्का बाउन्डरी से घिरा है तथा इस पर दो कोठरी पक्का एस्बेस्टस का बनकर तैयार है तथा तीन कोठरी का लगभग आठ फिट उच्च कुर्सी तैयार है तथा सहन वाली जगह में बागवानी है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन की आड़ में अपना साक्ष्य एकत्रित करना चाहते है। जो विधि के विपरीत है क्योंकि विधि का मान्य सिद्धांत है कि न्यायालय किसी पक्षकार के साक्ष्य एकत्रित करने हेतु नही बना है, बल्कि पक्षकारों द्वारा दिये गये साक्ष्य के आधार पर विचारण करते हुये फैसला करना है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र की मद न0–03 एवं 04 पर अपनी हकियत की घोषणा एवं निषेधाज्ञा की अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। वाद लंबन के	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–86/2021</u>

महम्मद हारून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2024	दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 18.08.2022 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये वादीगण के द्वारा वहन किये जायेगें। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 15.02.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	